न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2024	6.9.2024	18.8.2025

धन्सराज पुत्र दल्ला, मीना निवासी कडीपट्टी तहसील तलावडा —अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत मीनापाडा जरिए सरपंच तहसील तलावडा
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील तलावडा —रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 289
दिनांक 12.8.2024 ग्राम कडीपट्टी तहसील तलावडा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 289 दि0 12.8.2024 ग्राम कडीपट्टी इस आशय की प्रस्तुत की है कि खातेदार गोपी पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी कडीपट्टी तहसील तलावडा के नाम ग्राम कडीपट्टी में खाता संख्या 53 में भूमि ख0नं0 118 रकबा 0.07 है0 में हिस्सा 1/6, खाता संख्या 54 में भूमि ख0नं0 104 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 117 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 211 रकबा 0.46 है0 में हिस्सा 1/6, खाता संख्या 56 में ख0नं0 215 रकबा 2.44 है0 में हिस्सा 1/6, खाता संख्या 57 में ख0नं0 103 रकबा 1.90 है0 में हिस्सा 1/6, खाता संख्या 58 में ख0नं0 116 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 122 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 123 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 199 रकबा 0.31 है0 में हिस्सा 1/6 रहा है तथा खाता संख्या 63 में ख0नं0 105 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 106 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 107 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 108 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 109 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 110 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 111 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 112 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 113 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 114 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 115 रकबा 0.40 है0 में हिस्सा 1/6 है। खातेदार गोपी पुत्र गोरधन मीना की मृत्यु दिनांक 8.10.2020 को हो चुकी है। मृतक गोपी की पत्नि एवं पुत्र, पुत्री नहीं थे। गोपी लाअ[illegible] वर्ष की उम्र में फौत हुआ था। मृतक गोपी अपने छोटे भाई [illegible] धन्सराज अपीलार्थी के पास रहता था। अपीलार्थी धन्सराज व अपीलार्थी की पत्नि ने गोपी की सेवा पूर्ण श्रृद्धा से की। अपीलार्थी व उसकी पत्नि द्वारा की गई सेवाओं से गोपी हमेशा प्रसन्न रहा एवं उसने अपने जीवनकाल में ही दि0 4.1.2018 को अपनी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कच्चीपट्टी में स्थित कृषि भूमि हिस्सा 1/6 एवं रिहायशी मकान, कच्ची पाटोर, अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति मकान, कृषि भूमि की वसीयत अपीलार्थी धन्सराज मीना के पक्ष में कर दी तथा वसीयत में गोपी ने अंकित किया कि उसके मरने के बाद वसीयत द्वारा की गई चल व अचल सम्पत्ति व काश्त की भूमि धन्सराज मीना अपने नाम कराने का अधिकारी होगा। गोपी ने दिनांक 4.1.2018 को राजीखुशी पूर्ण होश-हवास में बिना किसी दबाव के अपीलार्थी धन्सराज मीना के पक्ष में वसीयत कर दी एवं गोपी ने पांच सौ रूपए का स्टाम्प खरीदकर स्टाम्प सहित कुल तीन पन्नो में वसीयतनामा कम्प्यूटर टाइप कराकर अपनी अंगूठा निशानी लगाकर वसीयतनामा निष्पादित किया। वसीयतनामा गवाहान रामखिलाडी मीना व छुट्टनलाल मीना के सामने गोपी ने अंगूठा निशानी लगाकर निष्पादित किया। वसीयतनामा पर उक्त दोनों गवाहान ने हस्ताक्षर किए एवं वसीयतनामा श्री इन्दरलाल गुप्ता एडवोकेट नोटेरी पब्लिक ने अटेस्टेड किया। गोपी की पहचान श्री बाबूलाल गुप्ता एडवोकेट ने की। वसीयतनामा नोटरी रजिस्टर क्रमांक 3 पर दिनांक 4.1.2018 को नियमानुसार इन्द्राज किया गया। इस प्रकार गोपी ने नियमानुसार वैद्य व प्रभावी वसीसत निष्पादित की। गोपी के जीवनकाल में एवं गोपी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी बतौर स्वामी गोपी की कृषि भूमि, मकान पर काबिज है। गोपी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी ने वसीयत दिनांक 4.1.2018 के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम खोलने बाबत् नियमानुसार प्रार्थना पत्र आनलाइन किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.8.2024 दर्ज किया जिसे पटवारी की गलत व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.8.2024 को सरपंच, ग्राम पंचायत मीनापाडा ने निरस्त कर दिया। वसीयत के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई, वसीयत के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने पर भी विरासत विवादास्पद बता दी गई। वसीयत के सम्बन्ध में एस0डी0ओ0 साहब गंगापुर सिटी के यहां कोई दावा नहीं चला परन्तु गलत रूप से वसीयत के सम्बन्ध में चला दावा खारिज करने की रिपोर्ट कर दी गई। पटवारी द्वारा की गई झूंठी इस रिपोर्ट की कोई जांच ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। बिना किसी जांच व आधार के नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। दिनांक 17.8.2024 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं हुई, ग्राम पंचायत की किसी बैठक में वसीयत के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। किसी के बयान नहीं लिए तथा मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया है। नामान्तरकरण संख्या 289 के सम्बन्ध में किया गया आदेश निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जाकर नामान्तरकरण स्वीकार फरमाया जाकर मृतक गोपी की उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कियका जाना एवं राजस्व रिकार्ड में गोपी के स्थान पर अपीलार्थी धन्नाराज का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.8.2024 के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत मीनापाडा तहसील तलावडा द्वारा दिया आदेश दिनांक 17.8.2024 बाबत् नामान्तरकरण निरस्त करने, निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कडीपट्टी तहसील तलावडा में खाता संख्या 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63 में दर्ज खसरा नम्बरान 118, 104, 117, 211, 215, 103, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 199, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 में मृतक गोपी पुत्र गोरधन हिस्सा 1/6 का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपीलार्थी धन्सराज पुत्र दल्ला मीना निवासी कडीपट्टी तहसील तलावडा के नाम दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

अपील के साथ अपीलार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 289 दि0 12.8.2024 ग्राम कडीपट्टी, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 53, 54, 56, 57, 58, 63, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र पूनी दिनांक 8.10.2020, प्रमाणित प्रतिलिपि वसीयतनामा दिनांक 4.1.2018, शपथपत्र छुट्टनलाल पुत्र रामकेश मीना ग्राम अमावरा, शपथपत्र रामखिलाडी पुत्र सूरजमल, मीना ग्राम बाटोदा, शपथपत्र धन्ना पुत्र पांच्या जोगी ग्राम कडीपट्टी पेश किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया । रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार तलावडा के यहां से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.8.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि गोपी पुत्र गोरधन मीना निवासी कडीपट्टी तहसील तलावडा की 80 वर्ष की उम्र में दिनांक 8.10.2020 को लाऔलाद मृत्यु हुई है। मृतक गोपी के पत्नि, पुत्र एवं पुत्री नहीं थे तथा वह अपीलार्थी के पास ही रहता था। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नि की सेवा से प्रसन्न होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

गोपी ने अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि, मकान, जायदाद की वसीयत दिनांक 4.1.2018 को अपीलार्थी धन्नराज के पक्ष में करवा दी व इस वसीयत को 500/–रू0 के स्टाम्प पर लिखवाकर इसे नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा कर नोटरी पब्लिक के यहां दर्ज करवा दिया। वसीयतकर्ता गोपी की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलार्थी ने अपीलार्थी के पक्ष में मृतक गोपी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु आनलाइन आवेदन किया जो क्रमांक 289 दिनांक 12.8.2024 पर दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण पर पटवारी हलका द्वारा की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर इसे सरपंच ग्राम पंचायत मीनापाडा ने बिना किसी जांच के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी पंचायत की मीटिंग के खारिज कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत मीनापाडा ने इस अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज करने में भारी भूल की है। सरपंच ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर ग्राम पंचायत की बैठक के बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज किया है। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत मीनापाडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.8.2024 ग्राम कडीपट्टी पर दिए गए आदेश को निरस्त किया जाकर वसीयत दिनांक 4.1.2018 के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 53, 54, 56, 57, 58, 63 ग्राम कडीपट्टी के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में वादग्रस्त भूमि में मृतक गोपी पुत्र गोरधन का 1/6 हिस्सा दर्ज रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि वसीयतनामा दिनांक 4.1.2018 गोपी पुत्र गोरधन मीना निवासी कडीपट्टी द्वारा अपीलार्थी धन्नराज पुत्र दल्ला मीना निवासी कडीपट्टी के पक्ष में लिखी गई है। इस वसीयत में गोपी पुत्र गोरधन मीना ने अंकित किया है कि मेरी उम्र 78 वर्ष हो गई है, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नि का स्वर्गवास हो गया है, मेरे कोई सन्तान नहीं है, न ही मैंने कोई दूसरी शादी की है तथा मैंने आज दिनांक 4.1.2018 तक किसी भी भाई या भाई के [illegible] या अन्य किसी रिश्तेदार के लडके लडकी को गोद नहीं लिया है। मैं [illegible] छोटे भाई दल्ला के पुत्र धन्नराज मीना के पास रहता हूं। धन्नराज व उसकी पत्नि मेरी सेवा व देखभाल अच्छी तरह से करते है। इनकी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं । मेरे मरने के बाद मेरी चल व अचल सम्पत्ति व मेरे कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि स्थित ग्राम कडीपट्टी, मेरा रिहायशी मकान व कच्ची पाटोर के बारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किसी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं हो इसलिए मैं आज दिनांक 4.1.2018 को इस वसीयतनामा के जरिए धन्सराज मीना के हक में अधिकार देता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति, मकानात आदि व मेरी खातेदारी काश्त की भूमि का धन्सराज पुत्र दल्ला मीना काबिज मालिक स्वामी रहेगा। अन्य किसी का मेरी इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस वसीयत के आधार पर धन्सराज मीना इन्हें अपने नाम कराने का अधिकारी होगा। यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है। यह वसीयतनामा मैंने मेरी राजीखुशी पूर्ण होश हवास, बिना किसी दबाव के धन्सराज मीना के हक में लिख दिया सो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इस वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता गोपी की निशानी है, बतौर गवाह रामखिलाडी पुत्र सूरजमल मीना निवासी बाटोदा तहसील बामनवास, छुट्टनलाल मीना पुत्र रामकेश मीना निवासी अमावरा तहसील बामनवास के हस्ताक्षर हैं तथा वसीयतकर्ता गोपी की पहचान श्री बाबूलाल गुप्ता एडवोकेट द्वारा करने पर यह वसीयतनामा दिनांक 4.1.2018 को श्री इन्दरलाल गुप्ता, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक गंगापुर सिटी द्वारा अटेस्टेड किया गया है व इसे क्रमांक 3 दिनांक 4.1.2018 पर दर्ज किया गया है। वसीयतनामे के गवाह छुट्टनलाल पुत्र रामकेश मीना ग्राम अमावरा,रामखिलाडी पुत्र सूरजमल मीना ग्राम बाटोदा तथा धन्ना पुत्र पांच्या जोगी ग्राम कडीपट्टी ने अपने अपने शपथपत्रो में अंकित किया है कि गोपी ने अपीलार्थी धन्सराज व इसकी पत्नि की सेवाओं व देखभाल से प्रसन्न होकर दिनांक 4.1.2018 को अपीलार्थी धन्सराज के पक्ष में वसीयत लिखी है। दिनांक 8.10.2020 को गोपी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के बाद अपीलार्थी धन्सराज ही गोपी की छोडी हुई समस्त चल, अचल सम्पत्ति, कृषि भूमि पर काबिज है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि गोपी द्वारा अपीलार्थी धन्सराज के पक्ष में दिनांक 4.1.2018 को वसीयत की गई है, इस वसीयत के अनुसार अपीलार्थी धन्सराज अपने नाम मृतक गोपी के नाम दर्ज कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। सरपंच, ग्राम पंचायत, मीनापाडा ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 289 को दिनांक 17.8.2024 को पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया है जो विधि अनुसार नहीं है। नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व सरपंच को इस बारे में जानकारी करनी चाहिए थी एवं अपीलार्थी को भी बुलाकर जानकारी करनी चाहिए थी परन्तु सरपंच द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। सरपंच, ग्राम पंचायत, मीनापाडा द्वारा बिना किसी वैद्य कारण के अपीलाधीन नामान्तरकरण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested

धन्सराज बनाम ग्राम पंचायत मीनापाडा वगैरा, अपील नामान्तरकरण

अस्वीकृत किया गया है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 12.8.2024 ग्राम कडीपट्टी पर सरपंच, ग्राम पंचायत, मीनापाडा द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 17.8.2024 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार तलावडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार तलावडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.8.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सत्यमेव जयते, गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested